Ayodhaya Prakaran

(2)

सं0-4419/सात-न्याय-2-739/87

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ: दिनांक 8 सितम्बर, 1993

विषय: अयोध्या जनपद फैजाबाद में स्थित विवादित ढांचे को गिराये जाने से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए जनपद लखनऊ में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के अस्थाई न्यायालय/पदों का सृजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धशासकीय पत्र सं0-सी-907/1993, दिनांक 4 सितम्बर, 1993 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला लखनऊ में जनपद फैजाबाद अयोध्या स्थित विवादित ढांचे के गिराये जाने से उत्पन्न वादों के शीघ्र निस्तारण कराये जाने हेतु एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अस्थायी न्यायालय/पदों को इन आदेशों के जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 28 फरवरी, 1994 तक, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जांय, श्री राज्यपाल महोदय सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त न्यायालय के लिए निम्नलिखित पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में न्यायालयों के बने रहने तक या जब तक बिना पूर्व सूचना के उक्त पद समाप्त न कर दिये जांय सृजित किये जाने की भी राज्यपाल महोदय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

1-	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	1(एक)	4500-150-5700
2-	रीडर	1(एक)	1200-30-1560-द०रो०
3-	अहलमद	2(दो)	-तदैव-
4-	मिसलेनियस क्लर्क	1(एक)	-तदैव-
5-	आशुलिपिक ग्रेड-1	1(एक)	1400-40-1600-द०रो०-60-2600

संख्या-48/न्या0क0/7-न्या-2-

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय(अधीनस्थ न्यायालय)अनु0-2 लखनऊ : दिनांक 06 [illegible]

विषय:- पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम सं0-66/84) के अधीन जनपद वाराणसी में पारिवारिक न्यायालय/पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पारिवारिक [illegible] में विशेषकर विवाह संबंधी विवादों में आपसी सुलह द्वारा समझौता कराने [illegible] से तथा इन वादों के शीघ्र विचारण के लिए प्रदेश में 2 अक्टूबर, 1986 से पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम सं066/84) लागू किया गया है, जिसके क्रियान्वयन हेतु राज्यपाल महोदय जनपद वाराणसी में एक पारिवारिक न्यायालय (फैमिली कोर्ट) की स्थापना की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-. राज्यपाल महोदय पुन: उक्त न्यायालय के कार्य संचालन हेतु अनुलग्नक में उल्लिखित कुल 13 (तेरह) पदों को शासनादेश जारी होने या नियुक्ति की [illegible] तिथि, जो भी बाद में हो, से 28 फरवरी, 1995 तक, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिए जाय, सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन पदों के धारकों को महंगाई तथा अन्य भत्ते उस सीमा तक [illegible] होंगे, जिस सीमा तक समय-समय पर लागू नियमों तथा राजाज्ञाओं द्वारा उन्हें अधिकारी होंगे। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदधारकों की अर्हतायें वही होंगी, जो वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों में कार्यरत उनके समकक्ष कर्मचारियों की है।

.....2/-

Registrar(S)

Registrar

S.O. Adm. C.A.

7-[illegible]-94

उक्त न्यायालय के लिए पदों के सृजन तथा अन्य संबंधित मदों पर चालू वित्तीय वर्ष ॥1994-95॥ में व्यय किए जाने की ~~क्र~~ भी स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं । व्यय की मदों का विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है । उपस्कर एवं टाइप राइटर मशीन आदि का क्रय स्टोर पर्चेज नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

4- न्यायालय भवन/ कार्यालय के लिए जज, पारिवारिक न्यायालय जो किराया तय करेंगे वह शासनादेश सं0-ए-2-1702/-1/1973 (दस-14॥30॥, दिनांक 25 अगस्त, 1997) के अनुलग्नक में निर्दिष्ट सीमा के अनुरूप तथा शासनादेश संख्या-2299/दस-एस-1-639/61, दिनांक 8 जून, 1965 में निर्धारित मानक नमूने के अनुसार देय होगा और उसके लिए प्रस्ताव शासन को शीघ्र भेजा जाय ।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-42 के अंतर्गत लेखा शीर्षक" 2014-न्याय प्रशासन -आयोजनेत्तर-1 [illegible] और [illegible] -09-पारिवारिक न्यायालय" के नामे डाला जायेगा ।

6- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-9-490/दस-94, दिनांक 26 मई, 1994 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

॥अशोक कुमार श्रीवास्तव॥
सचिव ।

पृ0सं0-48॥1॥ सं0॥1॥/सात-न्याय-2-66जी/94तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, प्रथम ॥हकदारी/लेखा-2॥ उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इन नव सृजित न्यायालयों के नाम का प्राधिकार पत्र वाराणसी कोषाधिकारी को निर्गत करने का कष्ट करें ।

.......3/-

महालेखाकार, प्रथम (आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद ।

4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0शासन ।

5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, व 2, उ0प्र0शासन ।

6. वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।

7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 व 2 (को 3 प्रतियों सहित) उ0प्र0शासन ।

8- नियुक्ति अनुभाग-4, उ0प्र0शासन ।

9- मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0, लखनऊ ।

10- मुख्य सचिव के निजी सचिव, उ0प्र0, लखनऊ ।

11- गृह सचिव, उ0प्र0शासन ।

12. जज, पारिवारिक न्यायालय वाराणसी ।

13. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया नव सृजित न्यायालय/कार्यालय के नाम अपने लेखन सामग्री की वितरण सूची में अंकित कर लें तथा लेखन सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

14. कार्मिक अनुभाग-1 व 2, उत्तर प्रदेश शासन ।

15- सचिवालय प्रलेखीकरण एवं पुस्तकालय ।

16. निदेशक, उद्योग स्टोर परचेज कानपुर ।

17. व्यय रजिस्टर हेतु ।

18- जिलाधिकारी, वाराणसी ।

19- [illegible], वाराणसी ।

20. समस्त जिला जज, उत्तर प्रदेश ।

21 निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उत्तर प्रदेश सचिवालय ।

आज्ञा से,

(अवध बिहारी शुक्ल)
संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-।

पारिवारिक न्यायालय जिला वाराणसी के लिए स्वीकृत पदों की सूची ।

क्र0 सं0 पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1. जज, पारिवारिक न्यायालय	1	4500-150-5700
2. काउंसलर (परामर्शदाता)	1	2000-/-नियत मासिक वेतन
3- सदर मुंसरिम	1	1640-60-2600-द0रो0-75-29[illegible]
4-आशुलिपिक ग्रेड-।	1	1400-40-1600-50-2300-द0रो0-60-[illegible]-2600
5-रीडर	1	1200-30-1560-द0रो0-40-20[illegible]
6-वाद लिपिक/भरण पोषण लिपिक	1	-तदैव-
7-[illegible] निष्पादन लिपिक/संरक्षण लिपिक	1	-तदैव-
[illegible] लिपिक	1	-तदैव-
[illegible]/प्रतिलिपिक	1	950-20-1150-द0रो0-25-15[illegible]
1[illegible] चपरासी	1	750-12-870-द0रो0-14-94
12- न्यायालय चपरासी	1	-तदैव-
1[illegible]-अर्दली	1	-तदैव-
1[illegible]-आदेश वाहक	1	-तदैव-

कुल पद= 13 (तेरह)

(अवध बिहारी शुक्ल)
संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-2

शासनादेश संख्या-48भा0 स0/सात-न्याय-2-66जी/94, दिनांक

व्यय के मदों का विवरण

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)
01-वेतन	2,19
03-महंगाई भत्ता	1,89
04-यात्रा व्यय	5
05-अन्य भत्ते	71
06-कार्यालय व्यय (अनावर्तक)	41
07-टेलीफोन पर व्यय (आवास व कार्यालय)	18
11-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	50
[illegible]-[illegible] सहायता	1
[illegible]-अन्य व्यय	2
योग=	5,96

अनावर्तक व्यय का विवरण

1-टाइपराइटर मशीनें	2	12
2-विधि पुस्तकें	–	5
3-[illegible]कर	–	15
4-[illegible] को अल्मारियाँ	2	5
5-दरियाँ	2	0.5
6-साइकिलें	2	2
7-दीवाल घड़ियाँ	2	0.5
[illegible]-प्रासंगिक व्यय	–	1
योग =		41 (अनावर्तक)

(अवध बिहारी शुक्ल)
संयुक्त सचिव ।

(1)

संख्या-442/सात-न्याय-2-217/79

प्रेषक,

श्री इकरामुल बारी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-2। अ०न्या०। दिनांक लखनऊ 21 अक्टूबर, 1994

विषय:- प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक-एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय हेतु 55 अस्थायी न्यायालयों/पदों का सृजन ।

महोदय,

प्रदेश के मैदानी जनपदों में भारी संख्या में सत्र परीक्षण फौजदारी अपीलें एवं पुनरीक्षण सत्र न्यायालयों में लम्बित होने के साथ-साथ दीवानी प्रकृति के उच्च आर्थिक क्षेत्राधिकारिता संबंधी वाद, अपीलों तथा पुनरीक्षण संबंधी वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु श्री राज्यपाल महोदय 55 (पचपन) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अस्थायी न्यायालयों/पदों को इन आदेशों के जारी हो जाने के बाद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 28 फरवरी, 1995 तक, यदि ये पद बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिए जायं, सृजित करने की सहमति प्रदान करते हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग से होगी, जिसका वेतनमान रुपया 4500-150-5700 होगा ।

2. उक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों के लिए लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों जिनका उल्लेख अनुलग्नक में किया गया है, के अस्थाई रूप से सृजन की जिस तिथि से उक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों की स्थापना हो अथवा उनके रखे जाने की तिथि से जो भी बाद में हो, 28 फरवरी, 1995 तक यदि ये पद बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिए जायं, के सृजन की भी

....2.

श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । इन समस्त पद धारकों को मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते उस सीमा तक प्राप्त होंगे जिस सीमा तक समय-समय पर लागू नियमों एवं राजाज्ञाओं द्वारा वे पाने के पात्र होंगे ।

3. उक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित मदों पर उनके सम्मुख अंकित धनराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

	रुपया
1. वेतन (दो माह हेतु)	26,44,000
2. मंहगाई भत्ता-	25,50,000
3. यात्रा व्यय-	55,000
4. अन्य भत्ते-	1,03,000
5. कार्यालय व्यय-	5,50,000
(अ) प्रासंगिक व्यय)	5,50,000
(ब) उपस्कर का क्रय-	11,00,000
(स) विधि पुस्तकों का क्रय-	11,00,000
(द) टाइपराइटर का क्रय-	5,50,000
(य) टेलीफोन ओ०वाई०टी० सुविधा सहित-	8,25,000
कुल योग=	1,00,27,000

4. चूँकि उक्त कार्य अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य प्रकृति का है और इसके चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय व्ययक में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, अतएव श्री राज्यपाल महोदय रुपया 1,00,27,000(रुपया एक करोड़ सत्ताइस हजार मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति यथासमय अनुपूरक मांगों के माध्यम से करा ली जायगी ।

5. टाइपराइटरों एवं उपस्कर का क्रय स्टोर पर्चेज नियमावली के अनुसार होगा । केवल हिन्दी के टाइपराइटर ही क्रय किए जाएंगे ।

...3...

इस संबंध में होने वाला ~~व्यय~~ उपरोक्त समस्त प्रासंगिक व्यय "30-राज्य आकस्मिकता निधि" एवं अंततः चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 आय व्ययक में अनुदान संख्या-42 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय-,शासन-आयोजनेतर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश" की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायगा।

भवदीय,

(इकरामुल बारी)
सचिव।

वित्त विभाग

संख्या-ई-9-सी0एफ0-304/दस-94-तद दिनांक।

प्रतिलिपि महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/आडिट-2, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को (एक अतिरिक्त प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव)
उप सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-4421(1)/सात-न्याय-2-217/79-तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य मंत्री जी के सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
3. नियुक्ति सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. अपर निबंधक, उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, उ0प्र0 न्यायिक सेवा संघ, ए-1 जजेज कम्पाउन्ड, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
10. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षित ब्यूरो, उ0प्र0, वित्त विभाग, उ0प्र0सचिवालय।

...4...

11. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 तथा 2 (तीन प्रतियों में)
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 (तीन प्रतियों में)
13. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 व 2
14. न्याय अनुभाग-9 (बजट)

आज्ञा से,

(एस०एस० कुलश्रेष्ठ)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-442/सात-न्याय-2-217/79, दिनांक 21 अक्टूबर, 1994 का संलग्नक ।

प्रदेश के प्रत्येक मैदानी जिले में एक-एक अतिरिक्त सत्र न्यायालय कुल 55 न्यायालयों के पदों/न्यायालयों के सृजन का विवरण ।

क्र0 सं0	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1-	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	4500-5700	55 [पचपन]
2-	पेशकार	1350-2200	55 [पचपन]
3-	आशुलिपिक ग्रेड-1	1400-2300	55 [पचपन]
4-	अर्दली	750-940	55 [पचपन]
5-	चपरासी	750-940	55 [पचपन]
	सम्बद्ध कार्यालय		
1-	मुंसरिम	1200-2040	55 [पचपन]
2-	वाद लिपिक	1200-2040	55 [पचपन]
3-	सत्र लिपिक	1200-2040	55 [पचपन]
4-	अपील एवं विविध लिपिक	1200-2040	55 [पचपन]
5-	प्रतिलिपिक	950-1500	55 [पचपन]
6-	दफतरी	775-1025	55 [पचपन]
	योग=		605 [छः सौ पांच]

[signature]
[एस0एस0 कुलश्रेष्ठ]
विशेष सचिव ।

संख्या-3246/सात-न्याय-2 94-332(...)/91

एन एल० कुलश्रेष्ठ,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 1995

विषय:- सतर्कता अधिष्ठान के लम्बित वादों की सुनवाई मण्डल स्तर पर किये जाने हेतु मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी एवं गोरखपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पृष्ठांकन संख्या-6039/मेन-बी/एडमिन(डी), दिनांक 4 मई, 1994 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय के परामर्श से श्री राज्यपाल महोदय सतर्कता अधिष्ठान के लम्बित वादों की सुनवाई मण्डल स्तर पर किये जाने हेतु मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी एवं गोरखपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एक-एक अस्थाई न्यायालय को, जैसा कि अनुलग्नक में दर्शाया गया है, इन आदेशों के जारी होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 28 फरवरी, 1995 तक, यदि उन्हें बिना पूर्व सूचना के पहले समाप्त न कर दिया जाये, स्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- चूँकि उक्त कार्य आवश्यक एवं अपरिहार्य प्रकृति का है, और इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 में आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है, अतः उक्त स्वीकृत रूपया एक हजार [illegible] आकस्मिकता निधि से आहरित करने की स्वीकृति भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति यथासमय अनुपूरक मांग के माध्यम से करा ली जायेगी।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त न्यायालय द्वारा जनपद स्तर पर, जहाँ पर न्यायालय सृजित किये गये हैं, लम्बित भ्रष्टाचार

........2/-पर

निवारण अधिनियम के तहत प्रकाशित ऐसे वाद, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण ... अथवा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की सतर्कता इकाई द्वारा ... प्रस्तुत किया गया है, की सुनवाई भी की जा सकती है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए स्वीकृत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती छटनी शुदा कर्मचारियों में से की जायेगी।

5- इन पदों के धारकों को महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते उस सीमा तक प्राप्त होंगे, जिस सीमा तक समय-समय पर लागू नियमों एवं राज्याज्ञाओं द्वारा वे उनके अधिकारी होंगे।

6- उक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 में उनके सामने अंकित धनराशि को व्यय किये जाने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः "8000-आकस्मिकता निधि" के नामे डाला जायेगा तथा अततः चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला एवं सेशन न्यायाधीश" की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस०एल० कुलश्रेष्ठ)
विशेष सचिव।

वित्त विभाग

संख्याः-ई-9 ...-558/दस-1995 तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/आडिट-2, उ०प्र०, इलाहाबाद को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

कैलाश ...
उप सचिव, वित्त।

.........3/-